

5

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-52/2022-23

LIC HOUSING FINANCE LIMITED

बनाम्

Smt. Bibi Asama Khatun

-: आदेश :-

21.03.2023

प्राधिकृत पदाधिकारी, LIC HOUSING FINANCE LIMITED, Back Office Patna, 8th Floor BSFC Building, Patna Fraser Road, Patna, Bihar-800001 द्वारा धारा 14 (1) and (2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत विपक्षी Smt. Bibi Asama Khatun W/O Md. Tajmul Ansari, Vill.- Barki Punu, Mahua Tand Dist. Bokaro, Jharkhand एवं अन्य के विरुद्ध LIC HOUSING FINANCE LIMITED में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष LIC HOUSING FINANCE LIMITED की ओर से श्री अभय शंकर के द्वारा दलील दी गई कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (All that part and parcel of the property consisting of Land and Building Sale Deed No. 3497 Dated 29.10.1996, Anchal Bermo Halka-VII vide mutation case no. 670/13-14 Jamabandi-179/IV, Village/Mauza-Badki Punu, P.S.- Mahuatand, Thana No. 57, Khata No. 12, Plot No. 812, Total Area-07 decimals, Dist. Bokaro in the name of Smt. Bibi Asama Khatun W/o Md. Tajmul Ansari.) को गिरवी रखते हुए 17,00,000/- (सतरह लाख) रुपये का LIC HOUSING FINANCE LIMITED से ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्ता का खाता दिनांक-15.11.2018 को ही एन०पी०ए० हो गया है। दिनांक-16.07.2019 तक


21.3.23

ऋणकर्ता पर कुल रुपये 14,50,020.29 के साथ ब्याज एवं अन्य शुल्क का बकाया है। ऋण की वापसी हेतु LIC HOUSING FINANCE LIMITED के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI ACT-2002 की धारा-14 (1) & (2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर दखल-कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा पुलिस बल की माँग की गई है।

विपक्षी के द्वारा कहा गया कि उन्होंने LIC HOUSING FINANCE LIMITED से दिनांक-14.02.2014 को रुपये 17,00,000 (दस लाख) मात्र ऋण लिया था। जिसके किरत का भूगतान प्रतिमाह किया जाता रहा है। अब तक विपक्षी के द्वारा रुपये 10,14,944.00 मात्र का भूगतान किया गया है। प्रथम पक्ष, तथ्यों को छुपाकर विपक्षी को तंग करने के ख्याल से यह मुकदमा दायर किया गया है और उनका खाता N.P.A कर दिया गया है। वर्तमान में उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तुरंत ऋण चुकाने में असमर्थ है। अन्त में विद्वान अधिवक्ता के द्वारा इस बात का मध्यस्थता केन्द्र, बोकारो को भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा दाखिल आवेदन पत्र, अभिलेख में संभारित कागजात एवं विपक्षी के दलील के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विपक्षी के द्वारा ऋण की राशि वापस करने के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी।

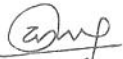
वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1) एवं (2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, LIC HOUSING FINANCE LIMITED, Back Office Patna, 8th Floor BSFC Building, Patna Fraser Road, Patna, Bihar-800001 द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने


21.3.23

7
के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

 21.3.23	 21.3.23
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी बोकारो।	उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी बोकारो।